संख्याः 852 /I/2004-6(1)/5/2004

प्रेषक,

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांकः 28, दिसम्बर, 2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–05 में निजी नलकूपों/पम्पसैटों के ऊर्जीकरण/विद्युत संयोजन हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या (2061/04)/I/2003-6-1(6)/2004 दिनांक 24.05.2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस वर्ष के लक्ष्य 500 निजी नलकूपों/पम्पसैट के ऊर्जीकरण/विद्युत संयोजन हेतु रू0 1,16,67,000.00 (रू0 एक करोड़ सोलह लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि अनुदान के रूप में निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपने हस्ताक्षर से तैयार एवं जिलाधिकारी, देहरादून से प्रतिहस्ताक्षरित बिल कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत कर किया जायेगा। धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही विगत वर्ष एवं इस वर्ष स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग करने के उपरान्त ही किया जायेगा। जिन जनपदों/स्थानों में विगत वर्ष एवं इस वर्ष स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया हो उन जनपदों/स्थानों में ही आवंटित धनराशि का आहरण किया जा सकता है।

2– आवश्यक सामग्री का भुगतान सम्बन्धित फर्म से प्राप्त सामग्री की जांच के उपरान्त ही किया जायेगा तथा सामग्री का गुणवत्ता के लिये सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा, जो इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग न किया जाय, इस योजना में एस0सी0पी0 व टी0एस0पी0 के लिये नियोजन विभाग के द्वारा नियत/मात्राकरण के अनुसार आवश्यक व्यय/कार्य किया जायेगा। प्रथम त्रैमास के अंत में एवं माहवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 की प्रगति अलग से दी जायेगी।

3– शासनादेश सं0 181/नौ–3–ऊ/2003, दिनांक 30.01.2003 में दिये गये सामान्य निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी एवं उसके संलग्न प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जायेंगे।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों/योजनाओं पर बजट मैनुअल, फाईनेन्सियल हैण्ड बुक, स्टोर पर्चेज सम्बन्धी अन्य सुसंगत नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति आवश्यक है, इसमें वह प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।

5– यदि उक्त कार्यो में निर्माण कार्य कराये जाते हैं तो इनके आगणन बनाकर उस पर सक्षम स्तर की तकनीकी परीक्षण के उपरान्त सक्षम तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया जाय।

.....2

6– नलकूप लगाये जाने से पूर्व लाभार्थियों से इस बात की लिखित वचनबद्धता ले ली जायेगी कि उक्त ऊर्जित नलकूपों के अनुरक्षण का पूर्ण दायित्व उन्हीं का होगा और इनके चालू रखने के लिये विभाग द्वारा सेफगार्ड भी अपनाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही निजी नलकूप संयोजन इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया जाय कि उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0, सिंचाई विभाग अथवा भू–जल सर्वेक्षण विभाग, जैसी भी स्थिति हो, से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि भूमिगत पानी के परिप्रेक्ष्य में नलकूप निर्माण हेतु कोई तकनीकी बाध्यता/रोक नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत एक बार उर्जित नलकूप का पुनः उसी योजना के अन्तर्गत ऊर्जीकरण नहीं किया जायेगा।

7– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये स्वीकृत किया जा रहा है।

8– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

9– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के दिनांक 31.03.2005 तक पूर्ण उपयोग के उपरान्त अब एवं पूर्व स्वीकृत धनराशि से ऊर्जीकृत समस्त पम्पों की लाभार्थीवार विवरण सहित (लागत व व्यय सूचना सहित) सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। यह सूची सामान्य व एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 वार अलग–अलग दी जायेगी।

10– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कर पी0एल0ए0 में रखी जायेगी, जिसका आहरण यथा आवश्यकता ही किया जायेगा।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2801–बिजली–06–ग्रामीण विद्युतीकरण–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–04–निजी नलकूप/पम्पसैट में विद्युत संयोजन योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2165/वित्त अनुभाग–3/2004, दिनांक 27 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
/
(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्याः852/I/2004-6(1)(5)/2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल ।
2– कोषाधिकारी, देहरादून।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
5– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
6– श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
7– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मंख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
8– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
9– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

C:\My Documents\Apdp\Upcl\Budget.doc